रजि0न0एल0डब्लू/एल0पी0890
लाइसेंस न0डब्लूपी0-41
लाइसेंस व पोस्ट एण्ड कन्सनल

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

### भाग-4 खण्ड (ख)

### (परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 07 अप्रैल, 1998
चैत्र 17,1920 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-5

संख्या क0स0वि0-5-3903/11-98-218(18)-95टी0सी0-1

लखनऊ, 10 सितम्बर, 1998

अधिसूचना

प0आ0-502

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 5 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल इस निमित्त जारी की गयी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके, जिला हरदोई के उप जिला शाहाबाद, हरदोई और बिलग्राम की सीमाओं में परिवर्तन करके, जिला हरदोई में एक नया उप जिला सवायजपुर बनाते हैं और उप जिला सवायजपुर, शाहाबाद, हरदोई और बिलग्राम की सीमाओं को, जैसा कि नीचे अनुसूची के स्तम्भ 3 में प्रत्येक के सामने दर्शाया गया है, विहित करते हैं ।

2- उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन राज्यपाल अग्रतर उप जिला सवायजपुर में उप निबंधक का कार्यालय स्थापित करते है ।

3- यह अधिसूचना दिनांक 16 सितम्बर, 1998 से प्रवृत्त होगी ।

अनुसूची

| **क्रम-संख्या** | **नये उप जिले का नाम** | **उप जिले की सीमाएं** |
|---|---|---|
| 1 | सवायजपुर | सवायजपुर की राजस्व तहसील |
| 2 | शाहाबाद | शाहाबाद की राजस्व तहसील |
| 3 | हरदोई | हरदोई की राजस्व तहसील |
| 4 | बिलग्राम | बिलग्राम की राजस्व तहसील |

आज्ञा से

हरीश चन्द्र गुप्त

प्रमुख सचिव ।